

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ

आदेश दिनांक 08.09.2011 के मुख्य बिन्दु

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2011 द्वारा राज्य की तीनों डिस्कॉम की विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश जारी किया है। विद्युत आपूर्ति टैरिफ से सम्बन्धित टैरिफ आदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

1. सरकार द्वारा देय अनुदान के पश्चात कृषि उपभोक्ताओं, बीपीएल तथा 50 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग करने वाले छोटे घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में कोई प्रभावी वृद्धि नहीं होगी।
2. घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा जल उष्मा प्रणाली (सोलर वाटर हीटर) स्थापित करने पर 5 पैसे/यूनिट की वर्तमान छूट को बढ़ाकर 25 पैसे/यूनिट (अधिकतम ₹0 300/माह) कर दिया गया है।
3. कृषि मीटर्ड उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा दक्ष, पम्प सेट (3 स्टार या अधिक ऊर्जा दक्षता वाले) तथा स्प्रिंकलर सेट लगाने पर ₹0 00.10/यूनिट की छूट दी गई है।
4. कृषि मीटर्ड श्रेणी में न्यूनतम प्रभार का प्रावधान समाप्त किया गया है।
5. समस्त श्रेणी के एल.टी. उपभोक्ताओं को उच्च दाब पर कनेक्शन लेने पर बिल की गई राशि पर साढ़े सात प्रतिशत की छूट दी गई है।
6. विद्युत नियामक आयोग ने वितरण निगमों को आर.ई.आर.सी. टैरिफ रेगुलेशन-2009 के प्रावधानों के अनुसार फ्यूल सरचार्ज लेने के निर्देश दिये हैं।
7. एच.टी. उपभोक्ताओं को 33 केवी अथवा 132केवी अथवा 220 केवी पर सप्लाय लेने पर वर्तमान में दी जाने वाली वोल्टेज रिबेट को 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 5 प्रतिशत किया गया है।
8. समस्त टेलीफोन/मोबाइल एक्सचेंज/स्विचेज अघरेलू श्रेणी में सम्मिलित किये गये हैं।
9. राजकीय अथवा राजकीय एजेन्सी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं पर मिक्स्ड लोड टैरिफ यथावत लागू रहेगी। किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थाओं पर अघरेलू टैरिफ लागू होगी।
10. राजकीय, राजकीय एजेन्सी व रेड कॉस द्वारा संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लीनिक एवं डिस्पेंसरियों पर मिक्स्ड लोड टैरिफ यथावत लागू रहेगी इसके अतिरिक्त अन्य अस्पतालों व डिस्पेंसरियों पर अघरेलू टैरिफ लागू होगी।

विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी की संशोधित टैरिफ दरें निम्नांकित हैं :-

**घरेलू श्रेणी(एल.टी.1 और एच.टी.1)**

श्रेणी	ऊर्जा शुल्क			स्थायी शुल्क
	ऊर्जा शुल्क	सरकार द्वारा देय अनुदान	प्रभावी ऊर्जा शुल्क(अनुदान के बाद)	
<b>एल.टी. –घरेलू(एल.टी.1)</b>				
बी.पी.एल.				
50 यूनिट प्रति माह उपभोग तक	रु0 2.25 / यूनिट	रु0 1.40 / यूनिट	रु0 0.85 / यूनिट	रु0 80.00 प्रति कनेक्शन प्रति माह(प्रभावी स्थायी शुल्क रु0 50/- प्रति कनेक्शन प्रति माह, रु0 30/- प्रति कनेक्शन प्रति माह के अनुदान के बाद)
लघु, घरेलू श्रेणी (उपभोग 50 यूनिट प्रति माह तक)				
उपभोग 50 यूनिट प्रति माह तक	रु0 2.50 प्रति यूनिट	रु0 0.80 प्रति यूनिट	रु0 1.70 प्रति यूनिट	रु0 80.00 प्रति कनेक्शन प्रति माह
सामान्य घरेलू श्रेणी(50 यूनिट / माह से अधिक उपभोग)				
(i) 50 यूनिट प्रति माह उपभोग तक	रु0 2.50 प्रति यूनिट		रु0 2.50 प्रति यूनिट	
(ii) 50 यूनिट / माह से 150 यूनिट / माह उपभोग तक	रु0 4.00 प्रति यूनिट		रु0 4.00 / यूनिट	रु0 140.00 / कनेक्शन / माह
(iii) 150 यूनिट / माह से 300 यूनिट / माह उपभोग तक	रु0 4.15 / यूनिट		रु0 4.15 / यूनिट	रु0 150.00 / कनेक्शन / माह
(iv) 300 यूनिट / माह से अधिक	रु0 4.35 / यूनिट		रु0 4.35 / यूनिट	रु0 180.00 / कनेक्शन / माह

उपभोग				
एचटी-घरेलू (एचटी-1)				
50 केवीए से ऊपर सविदा मांग के लिए	रू0 4.15 / यूनिट		रू0 4.15 / यूनिट	बिलिंग मांग का रू0 125 / केवीए / माह

### अघरेलू श्रेणी(एलटी.2 और एचटी.2)

अघरेलू श्रेणी	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
एल.टी. – अघरेलू (एलटी-2)		
अघरेलू श्रेणी-5 कि.वा. तक		
100 यूनिट / माह उपभोग तक	रू0 5.10 / यूनिट	
100 यूनिट से 200 यूनिट / माह तक उपभोग	रू0 5.50 / यूनिट	रू0 150.00 / कनेक्शन / माह
200 यूनिट / माह से अधिक उपभोग	रू0 5.90 / यूनिट	रू0 180 / कनेक्शन / माह
अघरेलू – 5 कि.वा. से अधिक		
100 यूनिट / माह तक उपभोग	रू0 5.10 / यूनिट	स्वीकृत / सम्बद्ध भार कारू0 60 / कि.वा. / माह
100 यूनिट से 200 यूनिट / माह तक उपभोग	रू0 5.50 / यूनिट	स्वीकृत / सम्बद्ध भार कारू0 60 / कि.वा. / माह
200 यूनिट / माह से अधिक उपभोग	रू0 5.90 / यूनिट	स्वीकृत / सम्बद्ध भार कारू0 60 / कि.वा. / माह
एच.टी. – अघरेलू(एचटी-2)		
50 के.वी.ए. से अधिक सविदा मांग के लिए		
सम्पूर्ण उपभोग	रू0 5.90 / यूनिट	बिलिंग मांग का रू0 125 / केवीए / माह

### सार्वजनिक पथ प्रकाश(एलटी-3)

सार्वजनिक पथ प्रकाश	ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
1 लाख से कम जनसंख्या	रू0 4.10 / यूनिट	रू0 50.00 / लेम्प पॉइंट / माह( अधिकतम – रू0 500 / सर्विस

		कनेक्शन / माह)
1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या	रु0 4.50 / यूनिट	रु0 60.00 / लेम्प पॉइंट / माह (अधिकतम - रु0 1200 / सर्विस कनेक्शन / माह)

### कृषि श्रेणी(एलटी-4)

मीटर्ड(कृषि/मी. / एलटी-4)	ऊर्जा प्रभार	सरकार से प्राप्त अनुदान	प्रभावी ऊर्जा प्रभार	प्रभावी स्थाई प्रभार
(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत प्राप्त नहीं हो रही हैं)	रु0 1.36 / यूनिट	रु0 0.46 / यूनिट	रु0 0.90 / यूनिट	रु0 50.00 / कनेक्शन / माह (राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रु010 / कनेक्शन / माह के पश्चात)
(ii) फार्म हाऊस श्रेणी	रु0 4.20 / यूनिट	रु0 0.80 / यूनिट	रु0 3.40 / यूनिट	रु0 50.00 / कनेक्शन / माह (राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रु010 / कनेक्शन / माह के पश्चात)
(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अतिरिक्त सभी श्रेणियां और 24 घंटे प्राप्त सप्लाय व पॉल्टरी फार्म	रु0 2.60 / यूनिट	रु0 0.50 / यूनिट	रु0 2.10 / यूनिट	रु0 50.00 / कनेक्शन / माह (राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रु010 / कनेक्शन / माह के पश्चात)

### फ्लेट रेट श्रेणी(कृषि / एफ.आर. / एलटी-4 )

(i) सामान्य श्रेणी (जिन उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत प्राप्त नहीं हो रही हैं)	रु0 175.00 / एचपी / माह	रु0 90.00 / एचपी / माह	रु0 85.00 / एचपी / माह	रु0 20.00 / कनेक्शन / माह (राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रु0 5 / कनेक्शन / माह के पश्चात)
(ii) चारा	रु0 250.00 /	रु0 50.00	रु0 200.	रु0 20.00 / कनेक्शन

योजना	एचपी / माह	/ एचपी / माह	00 / एचपी / माह	/ माह (राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रू0 5 / कनेक्शन / माह के पश्चात)
(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के अतिरिक्त सभी श्रेणियां और 24 घंटे प्राप्त सप्लाई व पॉल्टरी फार्म	रू0 290.00 / एचपी / माह	रू0 60.00 / एचपी / माह	रू0 230.00 / एचपी / माह	रू0 20.00 / कनेक्शन / माह (राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रू0 5 / कनेक्शन / माह के पश्चात)

### लघु उद्योग(एलटी-5)

लघु उद्योग	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
5 कि.वा. तक	रू0 4.00 / यूनिट	स्वीकृत / सम्बद्ध भार का रू0 45.00 / एचपी / माह
5 कि.वा. से अधिक 18.65 कि. वा. तक	रू0 4.35 / यूनिट	स्वीकृत / सम्बद्ध भार का रू0 45.00 / एचपी / माह

### मध्यम उद्योग(एलटी-6 और एचटी-3)

मध्यम उद्योग(एलटी-6 और एचटी-3)	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
मध्यम उद्योग(एलटी-6)	रू0 4.75 / यूनिट	स्वीकृत / सम्बद्ध भार का रू0 50.00 / एचपी / माह
मध्यम उद्योग(एचटी-3)	रू0 4.75 / यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का रू0 112.00 / केवीए / माह

### मिश्रित श्रेणी में बल्क सप्लाई(एलटी-7 और एचटी-4)

मिश्रित श्रेणी में बल्क सप्लाई	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
मिश्रित श्रेणी में बल्क सप्लाई(एमएल / एलटी-7)	रू0 4.75 / यूनिट	स्वीकृत / सम्बद्ध भार का रू0 50.00 / एचपी / माह
मिश्रित श्रेणी में बल्क सप्लाई(एमएल / एचटी-4)	रू0 4.75 / यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का रू0 112.00 / केवीए / माह

### वृहद उद्योग(एचटी-5)

ऊर्जा प्रभार	स्थाई प्रभार
रू0 5.00 /यूनिट	बिलिंग डिमाण्ड का रू0 125.00 /केवीए/ माह

राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेश की अनुपालना में उपरोक्त प्रावधान/संशोधित विद्युत दरें इस प्रकाशन की दिनांक से जयपुर विद्युत वितरण निगम के सप्लाई क्षेत्र में प्रभावी हो जायेंगी।

मुख्य अभियन्ता (वा. यो. वि.)

जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर

## **Tariff Order issued by Rajasthan Electricity Regulatory Commission**

### **Salient Features of Tariff Order dated 08.09.2011**

RERC vide order dated 08.09.2011 has issued Tariff order for three Discoms. Salient features of Tariff order are as under :-

1. **There is no increase in effective tariff of Agriculture, BPL and small domestic consumers consuming up to 50 units per month after subsidy from the State Govt.**
2. **For domestic consumers using solar water heater rebate has been increased from existing Rs. 0.05 per unit to Rs. 0.25 per unit (maximum Rs.300.00/month)**
3. **There is a rebate of 10 paise per unit for installation of energy efficient pumps (3 star rating or more) and sprinkler sets in respect of agriculture metered consumers.**
4. **Minimum billing abolished in agriculture metered category.**
5. **A rebate of 7.5% on billed amount for all categories of LT consumers shifting on HT supply has been allowed.**
6. RERC has allowed to levy fuel surcharge as per RERC Tariff Regulations-2009.
7. **Rebate presently being allowed for HT consumers to take connection on 33KV or 132KV or 220KV has been increased to 3%, 4% and 5% respectively.**
8. Telephone/Mobile exchange/Switches have been placed in NDS category.
9. Educational Institutions, Hospitals, Dispensaries run by State Govt. or agencies of the State Govt. will be covered under mixed load Tariff as earlier.
10. Hospitals/Dispensaries, Nursing Homes or Clinics run by Red Cross Societies will continue to be under mixed load category.. Educational Institutions, Hospitals, Dispensaries maintained and run by agencies other than State Govt. or agencies of the State Govt. will be covered under Non Domestic Tariff.

### Domestic category(LT-1 and HT-1)

Domestic	EC	Subsidy indicated to be received from GoR	Effective EC after subsidy	Fixed charges
<b>LT domestic (LT-1)</b>				
BPL				
Consumption upto first 50 units/month	Rs.2.25 /unit	Rs. 1.40 / unit	Rs. 0.85/ unit	Rs. 80/connection/ month(effective fixed charges Rs. 50/connection/ month after Govt. subsidy of Rs. 30/ connection/month.
Small domestic(Consumption upto 50 units/month)				
Consumption upto 50 units/month	Rs.2.50/ unit	Rs. 0.80 /unit	Rs.1.70 /unit	Rs.80/connection/month
General domestic(consumers above 50 units/month)				
(i) For consumption upto 1 <sup>st</sup> 50 units/ month	Rs.2.50/ unit		Rs.2.50 /unit	Rs.140/connection/month
(ii) For consumption above 50 units and upto 150 units/ month	Rs. 4/unit		Rs.4/ unit	
(iii) For consumption above 150 and upto 300 units/month	Rs.4.15/ unit		Rs.4.15/ unit	Rs.150/connection/ month
(iv) For consumption above 300 units	Rs.4.35/ unit		Rs.4.35/ unit	Rs.180/connection/ month
<b>HT domestic(HT-1)</b>				
For contract demand	Rs. 4.15/ unit		Rs.4.15/ unit	Rs.125/KVA of billing demand/month

above 50 KVA				
-----------------	--	--	--	--

### Non domestic category(LT-2 & HT-2)

Non domestic	Energy charges	Fixed charges
NDS upto 5 KW of SCL		
Consumption upto 1 <sup>st</sup> 100 units/month	Rs.5.10/unit	Rs.150/connection/ month
Consumption above 100 units and upto 200 units/month	Rs.5.50/unit	
Consumption above 200 units/month	Rs.5.90/unit	
NDS above 5KW of SCL		
Consumption upto 1 <sup>st</sup> 100 units/month	Rs.5.10/unit	Rs.60/KW of SCL/ month
Consumption above 100 units and upto 200 units/month	Rs.5.50/unit	Rs.60/KW of SCL/month
Consumption above 200 units/month	Rs.5.90/unit	Rs.60/KW of SCL/month
HT-NDS(HT-2)		
For contract demand above 50 KVA		
All units	Rs.5.90/unit	Rs.125/KVA of billing demand/month

### Public Street light (LT-3)

Public street light	Energy charges	Fixed charges
Population less than 1 lac	Rs.4.10/unit	Rs.50/lamp point/month subjected to a maximum of Rs.500/service connection/month
Population equal or more than 1 lac	Rs.4.50/unit	Rs.60/lamp point/month subjected to a maximum of Rs.1200/service connection/month

### Agriculture Category(LT-4)

Metered(Ag	EC	Subsidy	Effective EC	Fixed charges
------------	----	---------	--------------	---------------

/MS/LT-4)		indicated to be received from Govt.	after subsidy	
(i) General (not getting round the clock supply)	Rs.1.36/unit	Rs.0.46/ unit	Rs. 0.90/ unit	Rs.50/ connection/ month(After Govt. subsidy of Rs.10/connection /month from Govt.)
(ii) Farm House	Rs.4.20/unit	Rs.0.80/ unit	Rs.3.40/unit	Rs.50/ connection/ month (After Govt. subsidy of Rs.10/connection /month from Govt.)
(iii) All others not covered under items (i) & (ii) above and getting round the clock supply and Poultry Farm.	Rs.2.60/unit	Rs.0.50/ unit	Rs.2.10/unit	Rs.50/ connection/ month (After Govt. subsidy of Rs.10/connection /month from Govt.)
<b>Flat/unmetered(Ag./FR/LT-4)</b>				
(i) General (Not getting round the clock supply)	Rs.175/HP/ month	Rs.90/HP/ month	Rs.85/HP/ month	Rs.20/ connection/ month (After Govt. subsidy of Rs.5/connection /month from Govt.)
(ii) Fodder Scheme	Rs.250/HP/ month	Rs.50/HP/ month	Rs.200/HP/ month	Rs.20/ connection/ month (After Govt. subsidy of Rs.5/connection /month from Govt.)
(iii) All	Rs.290/HP/	Rs.60/HP/	Rs.230/HP/	Rs.20/

others not covered under items (i) & (ii) above and getting round the clock supply and Poultry Farm.	month	month	month	connection/month (After Govt. subsidy of Rs.5/connection /month from Govt.)
--	-------	-------	-------	---

### Small Industry (LT-5)

Small Industry (LT-5)	Energy charges	Fixed charges
Up to 5KW	Rs.4/unit	Rs.45/HP/month of sanctioned connected load
Above 5KW BUT NOT EXCEEDING 18.65KW (25HP)	Rs. 4.35/unit	Rs.45/HP/month of sanctioned connected load

### Medium Industry

Medium Industry	Energy charges	Fixed charges
Medium Industry(LT-6)	Rs.4.75/unit	Rs.50/HP/month of sanctioned connected load
Medium Industry(HT-3)	Rs.4.75/unit	Rs.112/KVA of billing demand/month

### Bulk Supply of Mixed load

Bulk supply of mixed load	Energy charges	Fixed charges
Bulk Supply for mixed load(ML/LT-7)	Rs.4.75/unit	Rs.50/HP/month of sanctioned connected load
Bulk Supply for mixed load(ML/HT-4)	Rs.4.75/unit	Rs. 112 /KVA of billing demand per month

### Large Industry (HT-5)

Energy charges	Fixed charges
Rs.5.00/unit	Rs.125/KVA of billing demand/ month

In compliance of RERC Order the aforesaid provisions/revised Tariff shall be effective from the date of its publication in News Papers in the jurisdiction of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.

Chief Engineer(C.P&L)

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd., Jaipur